कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / 2662 / जांच / सं.संचा / 2025–2026 अम्बिकापुर, दिनांक– 12 / 09 / 25

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर,
जिला–सरगुजा, छत्तीसगढ़

विषय :– **तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा श्री अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा युक्तियुक्तकरण में भारी भ्रष्टाचार करते हुए स्वयं की गलती छुपाने के उद्देश्य से नियम विरूद्ध तरीके से लिपिक श्री बृज किशोर तिवारी को निलंबित कर बिना किसी विभागीय जांच के निलंबन से बहाल कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अम्बिकापुर में पदस्थ करने के संबंध में शिकायत बावत्।**

संदर्भः– कार्यालय आयुक्त सरगुजा संभाग अम्बिकापुर (छ0ग0) का पत्र क्रमांक / Comp.No.:91781 File No.: ESTB/6289/2025 अम्बिकापुर दिनांक 10.08.2025

——00——

विषयांतर्गत लेख है, कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आयुक्त सरगुजा संभाग द्वारा दिनांक 19.07.2025 को उनके कार्यालय में श्री परवेज आलम गांधी प्रदेश महासचिव छ0ग0 प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा प्रस्तुत विषयांकित शिकायत पत्र संलग्न कर उसमें उल्लेखित शिकायत का बिन्दुवार जांच करने के निर्देश प्रदान किये गए है। उक्त निर्देश के परिपालन में शिकायत की जांच की जानी है, जिसके संबंध में निम्नानुसार दस्तावेज एवं जानकारी आवश्यक है :–

1. शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में विकासखण्ड समिति द्वारा जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत अतिशेष व्याख्याताओं की सूची एवं विद्यालयवार विषयवार रिक्त पदों की सूची (विद्यालय तथा संकुल से प्राप्त जानकारी सहित) की प्रमाणित प्रति ।
2. जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण उपरांत जारी अतिशेष व्याख्याताओं की सूची एवं विद्यालयवार विषयवार रिक्त पदों की सूची की प्रमाणित प्रति ।
3. अतिशेष व्याख्याताओं की जिला स्तर पर काउंसलिंग की तिथि व काउंसलिंग में शामिल होने वाले अतिशेष व्याख्याताओं की सूची एवं विद्यालयवार विषयवार रिक्त पदों के सूची की प्रमाणित प्रति ।
4. जिला स्तरीय काउंसलिंग उपरांत संभाग स्तर पर प्रेषित अतिशेष व्याख्याताओं की सूची एवं विद्यालयवार विषयवार रिक्त पदों की सूची किस–किस दिनांक को प्रेषित की गई उसकी जानकारी एवं प्रमाणित प्रति ।

   संभाग स्तरीय काउंसलिंग सम्पन्न होने के उपरांत आपके कार्यालय के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत अतिशेष व्याख्याता की सूची।
5. युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में लापरवाही बरतने के कारण श्री बृज किशोर तिवारी सहायक ग्रेड–02 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा शाखा प्रभारी लिपिक स्था0 01 के निलंबन आदेश की प्रति। निलंबन उपरांत उन्हे बहाल किये जाने के आदेश की प्रति तथा श्री तिवारी को बहाल करने के उपरांत आप के कार्यालय में किस शाखा का प्रभार सौंपा गया है उसके संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें।
6. श्री बृज किशोर तिवारी सहायक ग्रेड–02 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा शाखा प्रभारी लिपिक स्था0 01 के निलंबन उपरांत जारी आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति।
7. श्री बृज किशोर तिवारी सहायक ग्रेड–02 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा शाखा प्रभारी लिपिक स्था0 01 के निलंबन उपरांत विभागीय जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति।

CIVIL INDIA EXCLUSIVE
CIVIL INDIA

8. व्याख्याताओं की राज्य स्तरीय वरीष्ठता सूची एवं जिला स्तरीय काउंसलिंग में अतिशेष व्याख्याता हेतु विद्यालयवार विषयवार प्राथमिकता क्रम के अनुसार जारी सूची की प्रमाणित प्रति। विद्यालय में सेटअप अनुसार स्वीकृत पदों की जानकारी।
9. जिला स्तर एवं संभाग स्तर के काउंसलिंग में प्रदर्शित रिक्त पद वाले विद्यालय का व्याख्याताओं द्वारा चयन करने उपरांत चयनित विद्यालय में उस विषय का पद भरा पाया गया ऐसे व्याख्याताओं की सूची।
10. जिला स्तर, संभाग स्तर एवं राज्य स्तर काउंसलिंग उपरांत पदस्थ किये गये व्याख्याताओं द्वारा आपके कार्यालय में प्रस्तुत अभ्यावेदन जिसे आपके द्वारा मान्य अथवा अमान्य किया गया है, ऐसे व्याख्याताओं सूची एवं आदेश की प्रमाणित प्रति।
11. अन्य कोई दस्तावेज या जानकारी जो उस शिकायत के जांच हेतु आवश्यक है, और आपके कार्यालय में संधारित है उसकी प्रमाणित प्रति।

उक्त शिकायत गंभीर प्रकृति का है, जिसके संबंध में शीघ्र एवं पारदर्शी जांच आवश्यक हैं। अतएव उपरोक्तानुसार जानकारी एवं दस्तावेज 03 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक,
शिक्षा सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर,छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक / 2663 / शिकायत / सं.संचा / 2025–2026 अम्बिकापुर, दिनांक– 12 / 09 / 2025

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

संयुक्त संचालक,
शिक्षा सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर,छत्तीसगढ़

CIVIL INDIA EXCLUSIVE
CIVIL INDIA